पीएचई में सब इंजीनियर...

है कि पीएचई ने मार्च 2025 में सब इंजीनियर सिविल के 118 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। इस विज्ञापन में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसा कर विभाग के अफसर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सीधे तौर पर उल्लंघन कर रहे हैं।

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता अनुसूचित जनजाति वर्ग की अभ्यर्थी है और रोस्टर नियम का पालन नहीं होने के कारण वह एक अच्छे अवसर से वंचित हो रही है।

दस्तावेज परीक्षण के लिए नहीं बुलाया--

याचिका के मुताबिक पीएचई में सब इंजीनियर भर्ती के लिए जारी 102 पद में 52 अनारक्षित, 15 एससी, 20 एसटी व 15 प्रतिशत ओबीसी के लिए आरक्षित रखा गया है। विज्ञापन में शर्त रखी गई कि चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र 3 मई 2023 के अनुसार व सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के अध्याधीन रहेगा। याचिका के अनुसार लिखित परीक्षा पास होने के बाद 10 जुलाई को पत्र लिखकर दस्तावेजों के परीक्षण के लिए बुलाया। 16 जुलाई को लिखे पत्र में एसटी कैटेगरी में 19 वें नंबर पर आने के कारण उसे नहीं बुलाया क्योंकि पीएचई ने 32 के बजाय एसटी आरक्षण को 20 प्रतिशत कर दिया है।